

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन

आयोजनेत्तर-अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक(प०),
आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी,
झांसी, कानपुर नगर, फैजाबाद, सहारनपुर तथा गोण्डा।

संख्या- 1/शा०/18/2014-1/13/2014 : लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 2014

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-749/33-3-2014-35/2014, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार ₹ 8059537/- (₹ अस्सी लाख उनसठ हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) की धनराशि आवंटित की जाती है:-

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से आक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य संक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाय।
- 3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
- 4- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य संक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।
- 6- उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-101-पंचायतीराज-04- मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 7- नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 8- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-4 पर बने सभी कालम आवश्यक भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 9- यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

11- एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

12- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

13- आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।

14- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-30 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

६

निदेशक,

पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/10/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

3-महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।

4-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

5-वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7-तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अन्सारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-25/04/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-10-2014-1-13-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 001-13-2014

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 06-अन्य भत्ते | योग |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1 | सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- -01- | वर्तमान प्रगामी | 141840 141840 | 141840 141840 | 14184 14184 | 297864 297864 |
| 2 | मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 282923 282923 | 282923 282923 | 28292 28292 | 594138 594138 |
| 3 | आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 173733 173733 | 173733 173733 | 17373 17373 | 364839 364839 |
| 4 | बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 610584 610584 | 610584 610584 | 61058 61058 | 1282226 1282226 |
| 5 | मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- -01- | वर्तमान प्रगामी | 164750 164750 | 164750 164750 | 16475 16475 | 345975 345975 |
| 6 | कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 425915 425915 | 425915 425915 | 42591 42591 | 894421 894421 |
| 7 | इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- -01- | वर्तमान प्रगामी | 501348 501348 | 501348 501348 | 50134 50134 | 1052830 1052830 |
| 8 | झोंसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 0 0 | 0 0 | 8800 8800 | 8800 8800 |
| 9 | धाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 162626 162626 | 162626 162626 | 16262 16262 | 341514 341514 |
| 10 | गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 306467 306467 | 306467 306467 | 30646 30646 | 643580 643580 |
| 11 | बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 250140 250140 | 250140 250140 | 25014 25014 | 525294 525294 |
| 12 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 542829 542829 | 542829 542829 | 54282 54282 | 1139940 1139940 |
| 13 | फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , -- 01- | वर्तमान प्रगामी | 160026 160026 | 160026 160026 | 16002 16002 | 336054 336054 |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 06-अन्य भत्ते | योग |
|-------|--|---------|---------|-----------------|---------------|---------|
| 14 | गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01- | वर्तमान | 110506 | 110506 | 11050 | 232062 |
| | | प्रगामी | 110506 | 110506 | 11050 | 232062 |
| | योग | वर्तमान | 3833687 | 3833687 | 392163 | 8059537 |
| | | प्रगामी | 3833687 | 3833687 | 392163 | 8059537 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अस्सी लाख उनसठ हजार पाँच सौ सैंतीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अस्सी लाख उनसठ हजार पाँच सौ सैंतीस

शहजाद अहमद अंसारी
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी